UPAZ060060062022

IN THE COURT OF
Civil Judge (Junior Division) Hawali AT ,Azamgarh
Presided Over by SHRI DEEPAK KUMAR SINGH
Misc. Civil Cases/180133/2022

१. रिषभ यादव उम्र तख० २४ वर्ष पुत्र स्व० महेन्द्र यादव,
निवासी ग्राम व पोस्ट माहुला परगना व तहसील सगड़ी, जिला-आजमगढ़।

----------सायल

दिनाँकः २१.०५.२०२३/राष्ट्रीय लोक अदालत

पत्रावली पेश हुई। सायल जरिए विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना पत्र ४ग२ पर सायल के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र ४ग/२ अं० धारा-३७२ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र ४ग२ में उल्लिखित मृतक जगदीश की देय धनराशि के बावत विधिक वारिस के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की याचना की गयी है।

नोटिस जरिए मुनादी व प्रकाशन कराया गया है। आपत्ति हेतु कोई उपस्थित नहीं है।

प्रार्थना पत्र ४ग२ के माध्यम से सायल द्वारा मृतक जगदीश के नाम यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा माहुल जनपद आजमगढ़ में स्थित बचत खाता नं०- ४५९४०२०१०७०५३२२ में अवशेष धनराशि मुब०- २०,३१९/-रू०, एफ०डी०आर० खाता सं०-४५९४०३०३०१०४४९३ में अवशेष राशि मुब०-१६,८१४/-रू०, एफ०डी०आर० खाता सं०-४५९४०३०३०१०४३८८ में अवशेष धनराशि मुब०-६६,३६७/-रू० मय ब्याज के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र ४ग२ शपथ पत्र ५ग२ से समर्थित है। सायल की ओर से प्रार्थना पत्र ४ग२ के समर्थन में कागज सं०-८ग२ नकल परिवार रजिस्टर दो वर्क, कागज सं०-९ग२ मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक जगदीश, कागज सं०-१०ग२ मूल पास बुक, कागज सं०-११ग२ व १२ग२ दो किता एफ०डी०आर दाखिल है। कागज सं०-ं१३ग२ छाया प्रति रजिस्टर्ड वसीयतनामा जो मृतक जगदीश द्वारा अपनी चल अचल सम्पत्ति के के सम्बन्ध में देवन्ती देवी पत्नी महेन्द्र यादव के हक में तहरीर किया गया है , दाखिल है। कागज सं०-१४ग२ नकल खतौनी दाखिल है। तथा कागज सं०-९ग२ सम्बन्धित पास बुक की छाया प्रति, कागज सं०-१०ग२ मृत्यु प्रमाण पत्र, कागज सं०-११ग२ प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर की छाया प्रति, कागज सं०-१२ग२ सम्बन्ध प्रमाण पत्र, कागज सं०-२०ग२ से मृतक जदीगश के नं०-४५९४०२०१०७०५३२२ में अवशेष धनराशि मुब०- २०,३१९/-रू०, एफ०डी०आर० खाता सं०-४५९४०३०३०१०४४९३ में अवशेष राशि मुब० -१६,८१४/-रू०, एफ०डी०आर० खाता सं०-४५९४०३०३०१०४३८८ में अवशेष धनराशि मुब०- ६६,३६७/-रू० से सम्बन्धित स्टेटमेण्ट आफ एकाउण्ट दाखिल किया गया है।

मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र कागज सं० -१७ग२ के माध्यम से शपथी पवन गुप्ता, बी०डी०सी० सदस्य ग्राम पचायत महुला, जनपद आजमगढ़ ने प्रार्थना पत्र ४ग२ के कथनों को साबित

किया है तथा यह साक्ष्य कथन किया है कि मृतक जगदीश निःसतान थे तथा उनके एक मात्र भाई स्व० महेन्द्र थे जिनका पुत्र रिषभ यादव है अन्य कोई मृतक का वारिस नहीं है। सायल रिषभ यादव ने अपने शपथ पत्र १६ग२ के माध्यम से प्रार्थना पत्र ४ग२ के कथनों को साबित किया है तथा अपने पिता स्व० महेन्द्र यादव को मृतक जगदीश का सगा भाई होना कहते हुए मृतक के नाम देय धनराशि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अपने नाम निर्गत किये जाने की याचना किया है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जगदीश की मृत्यु दिनाँक ३१.१०.२०२० को हो गयी है तथा जगदीश के भाई महेन्द्र की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सायल मृतक का भतीजा है तथा एक मात्र विधिक वारिस है। कागज सं०-२०ग२ से मृतक जदीगश के नं०- ४५९४०२०१०७०५३२२ में अवशेष धनराशि मुब०- २०,३१९/-रू०, एफ०डी०आर० खाता सं०-४५९४०३०३०१०४४९३ में अवशेष राशि मुब०-१६,८१४/-रू०, एफ०डी०आर० खाता सं०-४५९४०३०३०१०४३८८ में अवशेष धनराशि मुब०- ६६,३६७/-रू० से सम्बन्धित स्टेटमेण्ट आफ एकाउण्ट दाखिल किया गया है। जो विधिक वारिस को देय है।

फलस्वरूप उत्तराधिकार प्रार्थना पत्र ४ग२ में अंकित सम्पूर्ण धनराशि के बावत सायल नं० -१ रिषभ यादव के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने योग्य है। तदनुसार प्रार्थना पत्र ४ग२ स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सायल का प्रार्थना पत्र ४ग२ स्वीकार किया जाता है। उत्तराधिकार प्रार्थना पत्र ४ग२ में अंकित सम्पूर्ण धनराशि के सम्बन्ध में सायल नं०-१ रिषभ यादव के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण सायल द्वारा इस आशय की फोटोयुक्त अण्डरटेंकिंग प्रस्तुत करने पर निर्गत किया जाये कि यदि किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त धनराशि जिसके बावत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, के बारे में अन्यथा कोई आदेश पारित किया जाता है या अन्य किसी का हक स्वीकार किया जाता है तो सायल को अदा की धनराशि उक्त् आदेश के अधीन होगी और सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज जमा करना होगा।

मुन्सरिम आख्या कोर्ट फीस के बावत प्रस्तुत करें। सायल न्यायशुल्क के बावत आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(दीपक कुमार सिंह)
सिविल जज ।जू०डि०।,
हवाली, आजमगढ़।
जे.ओ.कोड यू.पी. २५९५